

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 जून 2011—ज्येष्ठ 26, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 16 जून 2011

क्र. एफ.ए-6-36-2011-1-पांच-(53).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारियों को, जहां तक उनका संबंध मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) के प्रशासन से है, जो नीचे दी गई सारणी के कॉलम (4) में वर्णित वृत्त में पदस्थ हैं, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर समस्त कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

#### सारणी

अनुक्रमांक	अधिकारियों के पदनाम	क्षेत्र	कार्यालय का नाम	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(1) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी (3) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	राजस्व जिला, भोपाल	वृत्ति कर वृत्त, भोपाल	भोपाल
2.	(1) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी (3) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	राजस्व जिला, ग्वालियर	वृत्ति कर वृत्त, ग्वालियर	ग्वालियर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	(1) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी (3) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	राजस्व जिला, इंदौर	वृत्ति कर वृत्त, इंदौर	इंदौर
4.	(1) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी (3) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	राजस्व जिला, जबलपुर	वृत्ति कर वृत्त, जबलपुर	जबलपुर
5.	(1) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी (3) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	राजस्व जिला, भोपाल ग्वालियर, इंदौर तथा जबलपुर को अपवर्जित करते हुए मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 2 (1) (घ) में यथापरिभाषित वृत्त का समाविष्ट क्षेत्र.	अधिसूचना क्रमांक ए-5-8-79 विक- पांच (31), दिनांक 3 सितम्बर 1979 में यथाविनिर्दिष्ट वाणिज्यिक कर वृत्त.	अधिसूचना क्रमांक ए-5-8-79 विक- पांच (31), दिनांक 3 सितम्बर 1979 में विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक कर वृत्त मुख्यालय.

No. F-A-6-36-2011-1-V (53).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, authorizes the officers appointed under Section 3 of the said Act as specified in column (2) of the Table below to perform all the functions in so far as it relates to administration of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhinyam, 2011 (No. 11 of 2011) within the area as specified in column (3), posted at circle mentioned in column (4) of the Table below, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Designation of officers (2)	Area (3)	Name of office (4)	Headquarter (5)
1.	(1) Assistant Commissioner, Commercial Tax (2) Commercial Tax Officer (3) Assistant Commercial Tax Officer	Revenue District, Bhopal	Professional Tax Circle, Bhopal	Bhopal
2.	(1) Assistant Commissioner, Commercial Tax (2) Commercial Tax Officer (3) Assistant Commercial Tax Officer	Revenue District, Gwalior	Professional Tax Circle, Gwalior	Gwalior
3.	(1) Assistant Commissioner, Commercial Tax (2) Commercial Tax Officer (3) Assistant Commercial Tax Officer	Revenue District, Indore	Professional Tax Circle, Indore	Indore

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	(1) Assistant Commissioner, Commercial Tax (2) Commercial Tax Officer (3) Assistant Commercial Tax Officer	Revenue District, Jabalpur	Professional Tax Circle, Jabalpur	Jabalpur
5.	(1) Assistant Commissioner, Commercial Tax (2) Commercial Tax Officer (3) Assistant Commercial Tax Officer	Area Comprising of the Circle as defined in rule 2(1) (d) of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 excluding Revenue District, Bhopal, Gwalior, Indore and Jabalpur.	Commercial Tax Circle, as specified in notification No. A-5-8-79ST-V(31), dated 3rd September, 1979.	Commercial Tax Circle, head Quarter specified in notification No. A-5-8-79ST-V(31), dated 3rd September, 1979

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.